भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-372

उत्तर देने की तारीख-27/03/2023

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पद

†*372. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या यह संख्या छात्रों की संख्या के अनुपात के अनुरूप है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश भर के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित अनेक पद रिक्त हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भरी गई रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का पहले से कार्यरत तदर्थ/अस्थायी/संविदा/अतिथि संकाय को स्थायी शिक्षकों के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री सी.एन. अन्नादुरई और श्रीमती मंजुलता मंडल द्वारा 'केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पद' के संबंध में दिनांक 27.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 372 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) नियमित मोड में संचालित किए जा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। लगभग सभी राज्यों में आवश्यकतानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है। इसके अलावा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परिकल्पना क्षेत्र में अन्य संस्थानों को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए गति निर्धारक संस्थानों के रूप में कार्य करने हेतु की गई है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश करती है कि केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ) रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी बढ़ती आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती हैं। मंत्रालय निरंतर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ इसकी निगरानी करता है। तथापि, पदों को भरने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होते हैं। दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार, सीयू में अनुसूचित जाति (एससी) के 878 पद और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 520 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीयू को 5 सितंबर, 2021 से शुरू होने वाले मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भरी गयी रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2018		2019		2020		2021		2022	
एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
110	41	16	6	182	81	81	43	51	28

(च) जी, नहीं।

*****